विधानसभा चुनाव

निर्वाचन आयोग ऐसे सभी राज्यों में विधानसभा चुनाव एक साथ कराता है जिनका कार्यकाल लगभग एक ही समय समाप्त हो रहा हो। **छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल शीघ्र समाप्त होने जा रहा है।** अतः भारत के संविधान के अनुच्छेद 172 (1) के साथ अनुच्छेद 324 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 15 के तहत प्रदत्त अधिकारों, कर्तव्यों और कार्यों के अनुसार निर्वाचन आयोग को उक्त राज्यों में वर्तमान विधानसभाओं का कार्यकाल समाप्त होने से पहले नई विधानसभाओं का गठन करना है। इसके साथ ही आयोग को गुजरात (167–सूरत पश्चिम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र) और तमिलनाडु (83–येरकौड (अजजा) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र) राज्य विधानसभा सीटों की आकस्मिक रिक्तियां भरने के लिए उप चुनाव भी कराने हैं।

छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और दिल्ली में राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या का निर्धारण परिसीमन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इन राज्यों में मतदान इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों के इस्तेमाल के जरिए कराया जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने 27 सितम्बर, 2013 के अपने एक फैसले में निर्देश दिया है कि मतपत्रों और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में ''नन ऑफ द अबाउ (नोटा)'' अर्थात् ''उपरोक्त में से कोई नहीं'' का विकल्प भी प्रदान किया जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुपालन में निर्वाचन आयोग बैलेटिंग यूनिट पर अंतिम उम्मीदवार के नाम के नीचे नोटा विकल्प के लिए एक बटन प्रदान करेगा ताकि वे मतदाता उसका इस्तेमाल कर सकें जो किसी उम्मीदवार को वोट न देना चाहते हों। इस बारे में राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को भेजे जाने वाले विस्तृत दिशा–निर्देश निर्वाचन आयोग तैयार कर रहा है।

मतदान के समय मतदान केंद्र पर मतदाताओं की पहचान अनिवार्य होगी। मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) प्रदान किए गए हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसा कोई मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रहे, जिसका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो, निर्वाचन आयोग मतदाताओं की पहचान के लिए आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने की अनुमति देने के लिए पृथक आदेश जारी करेगा।

चुनाव खर्च के बारे में विधि मंत्रालय की 2011 की अधिसूचना पर अमल किया जाएगा। मिजोरम को छोड़ कर अन्य चारों राज्यों के लिए प्रत्येक उम्मीदवार की चुनाव खर्च सीमा 16 लाख रुपये तय की गई है। मिजोरम के मामले में यह सीमा 8 लाख रुपये प्रति उम्मीदवार है। सामान्य पर्यवेक्षक, पुलिस पर्यवेक्षक और खर्च पर्यवेक्षक तैनात करने के अलावा निर्वाचन आयोग ने पहली बार **केंद्रीय जागरुकता पर्यवेक्षक** तैनात करने का भी फैसला किया है ताकि मुख्य रूप से मतदाता जागरुकता और सुविधाओं के मामले में फील्ड स्तर पर चुनाव प्रक्रिया के सक्षम और प्रभावकारी प्रबंधन पर निगरानी रखी जा सके। जागरुकता पर्यवेक्षक सात–सात दिन के दो चरणों में तैनात किए जाएंगे और वे चुनाव मशीनरी द्वारा चुनाव प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी, विशेषकर वोट डालने वाले लोगों की संख्या में अंतराल दूर करने के लिए किए गए उपायों पर निगरानी रखेंगे। वे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 से संबंधित विभिन्न मीडिया संबंधी पहलुओं पर भी निगरानी रखेंगे और 'पेड न्यूज' यानी धन देकर खबरें छपवाने की समस्या रोकने के लिए आयोग द्वारा जिला स्तरों पर की गई व्यवस्था पर भी निगरानी रखेंगे।

छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव

राज्य में मतदान दो चरणों में कराया जाएगा। 18 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान 11 नवंबर, 2013 को और 72 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान 19 नवंबर, 2013 को कराया जाएगा।

क्र.सं.	मद	तथ्य
1	विधानसभा की अवधि समाप्त होने की तारीख	04.01.2014
2	निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	**90** सामान्य–51, अजा–10, अजजा–29
3	मतदाताओं की संख्या	1,67,96,174
4	जारी किए गए मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) का प्रतिशत	98.81
5	राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त दलों की संख्या	शून्य
6	मतदान केंद्रों की कुल संख्या	21,418
7	तैनात किए गए सामान्य, व्यय, पुलिस एवं जागरुकता पर्यवेक्षकों की संख्या	सामान्य पर्यवेक्षक–90, पुलिस पर्यवेक्षक–27, खर्च पर्यवेक्षक–30 जागरुकता पर्यवेक्षक–9

2008 के विधानसभा चुनाव में अन्य उम्मीदवारों के अलावा सात राष्ट्रीय पार्टियों ने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। कुल 1066 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरे थे और 70.51 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था।

मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव

समूचे राज्य में केवल एक चरण में 25 नवंबर, 2013 को मतदान कराया जाएगा।

क्र.सं.	मद	तथ्य
1	विधानसभा की अवधि समाप्त होने की तारीख	12.012.2013
2	निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	**230** सामान्य–148, अजा–35, अजजा–47
3	मतदाताओं की संख्या	4,64,57,724
4	जारी किए गए मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) का प्रतिशत	100 प्रतिशत
5	राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त दलों की संख्या	6
6	मतदान केंद्रों की कुल संख्या	53,896
7	तैनात किए गए सामान्य, व्यय, पुलिस एवं जागरुकता पर्यवेक्षकों की संख्या	सामान्य पर्यवेक्षक–230, पुलिस पर्यवेक्षक–20, खर्च पर्यवेक्षक–100 जागरुकता पर्यवेक्षक–17

2008 के विधानसभा चुनाव में अन्य उम्मीदवारों के अलावा सात राष्ट्रीय पार्टियों ने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। कुल 3179 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरे थे और 69.28 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था।

मिजोरम विधानसभा चुनाव

समूचे राज्य में केवल एक चरण में 04 दिसंबर, 2013 को मतदान कराया जाएगा।

क्र.सं.	मद	तथ्य
1	विधानसभा की अवधि समाप्त होने की तारीख	15.12.2013
2	निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	**40** सामान्य, अजा अजजा–39
3	मतदाताओं की संख्या	6,86,305
4	जारी किए गए मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) का प्रतिशत	100 प्रतिशत
5	राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त दलों की संख्या	03
6	मतदान केंद्रों की कुल संख्या	1126
7	तैनात किए गए सामान्य, व्यय, पुलिस एवं जागरुकता पर्यवेक्षकों की संख्या	सामान्य पर्यवेक्षक–31, पुलिस पर्यवेक्षक–02, खर्च पर्यवेक्षक–09 जागरुकता पर्यवेक्षक–02

2008 के विधानसभा चुनाव में अन्य उम्मीदवारों के अलावा तीन राष्ट्रीय पार्टियों (भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी) ने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। कुल 206 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरे थे और 80.02 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था।

राजस्थान विधानसभा चुनाव

समूचे राज्य में केवल एक चरण में 01 दिसंबर, 2013 को मतदान कराया जाएगा।

क्र.सं.	मद	तथ्य
1	विधानसभा की अवधि समाप्त होने की तारीख	31.12.2013
2	निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	**200** सामान्य–141 अजा–34 अजजा–25
3	मतदाताओं की संख्या	4,06,08,056
4	जारी किए गए मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) का प्रतिशत	99.43
5	राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त दलों की संख्या	शून्य
6	मतदान केंद्रों की कुल संख्या	45,334
7	तैनात किए गए सामान्य, व्यय, पुलिस एवं जागरुकता पर्यवेक्षकों की संख्या	सामान्य पर्यवेक्षक–200, पुलिस पर्यवेक्षक–14, खर्च पर्यवेक्षक–56 जागरुकता पर्यवेक्षक–11

2008 के विधानसभा चुनाव में अन्य उम्मीदवारों के अलावा छह राष्ट्रीय पार्टियों ने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। कुल 2194 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरे थे और 80.02 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था।

दिल्ली विधानसभा चुनाव

समूचे राज्य में केवल एक चरण में 04 दिसंबर, 2013 को मतदान कराया जाएगा।

क्र.सं.	मद	तथ्य
1	विधानसभा की अवधि समाप्त होने की तारीख	17.12.2013
2	निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	**70** सामान्य–58 अजा–12 अजजा–00
3	मतदाताओं की संख्या	1,15,07,113
4	जारी किए गए मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) का प्रतिशत	100 प्रतिशत
5	राज्य में मान्यता प्राप्त दलों की संख्या	6
6	मतदान केंद्रों की कुल संख्या	11,763
7	तैनात किए गए सामान्य, व्यय, पुलिस एवं जागरुकता पर्यवेक्षकों की संख्या	सामान्य पर्यवेक्षक–70, पुलिस पर्यवेक्षक–02, खर्च पर्यवेक्षक–18 जागरूकता पर्यवेक्षक–03

2008 के विधानसभा चुनाव में अन्य उम्मीदवारों के अलावा सात राष्ट्रीय पार्टियों ने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। कुल 875 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरे थे और 57.58 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था।

मतदाताओं की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पांचों राज्यों में मतदाता सूचियों के संशोधन की प्रक्रिया के दौरान मतदाताओं को शिक्षित करने के उद्देश्य से **स्वीप उपाय** यानी 'मतदाता शिक्षा और मतदाता भागीदारी के व्यवस्थित उपाय' किए गए। ये उपाय मतदान प्रक्रिया के दौरान भी जारी रहेंगे। आयोग ने राज्य और जिला स्तरीय **स्वीप** योजनाएं तैयार की हैं, जो ज्ञान, अभिरुचि, व्यवहार, पद्धतियों (केएबीपी) के अनुसार कराए गए सर्वेक्षण पर आधारित हैं। इन योजनाओं को सरकारी और गैर–सरकारी विभागों तथा एजेंसियों की भागीदारी के साथ लागू किया जा रहा है। मतदान में कम हिस्सेदारी की समस्या दूर करने के लिए आबादी के विभिन्न वर्गों के बीच मतदान केंद्र स्तर पर लक्षित उपाय किए जा रहे हैं।